# न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

परिवाद सं0– 1971/2012

चमेली देवी बनाम रमेश कुमार आदि

धारा–498A, 323 भा0 दं0 सं0
व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम।
थाना–सुनगढ़ी, जिला–पीलीभीत।

**दिनांकः 10.10.2022**

अभियुक्त राधेश्याम की ओर से परिवाद सं0–1971/2012, अन्तर्गत धारा–498A, 323 भा0 दं0 सं0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना सुनगढ़ी, जिला पीलीभीत के अपराध में जमानत प्रार्थनापत्र इस आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में उसे झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है। अभियुक्त दिनांक 06.10.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थी को झूंठा फंसाया गया है, प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी जमानत देने को तैयार हैं।

मेरे द्वारा सुना एवं पत्रावली व अन्य उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त दिनांक 06.10.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं। मामला वैवाहिक प्रकृति का है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

अभियुक्त राधेश्याम की ओर से परिवाद सं0–1971/2012, अन्तर्गत धारा–498A, 323 भा0 दं0 सं0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना सुनगढ़ी, जिला पीलीभीत के अपराध में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अतः अभियुक्त द्वारा मु0 20,000/– रूपये, का एक व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान राशि की दो प्रतिभू पत्र प्रस्तुत किए जाने पर जमानत पर रिहा किया जावें।

(सुम्बुल इरशाद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

Digitally signed by SUMBUL IRSHAD
Date: 2022.10.10 16:32:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court